भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4859

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी निधि

4859. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु निधि के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित, जारी की गई और लंबित हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों को संवितरण में किसी भी प्रकार के विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) इस निधि को तत्काल जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु निधि का समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत तंत्र पर विचार कर रही है ताकि उक्त विलंब को रोका जाए और अत्याचार के पीड़ितों के लिए निर्बाध सहायता सुनिश्चित की जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके तहत बनाए गए एससी/एसटी (पीओए) नियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) के बीच 50:50 हिस्से के अनुपात में जारी की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (विधानमंडल रहित) को 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। स्वीकार्य केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में अपने प्रस्ताव पिछले भुगतान के उपयोग प्रमाण-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अत्याचार के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर राहत प्रदान करनी होती है।

दिनांक 01.04.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4859 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जारी केंद्रीय सहायता

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (26.03.2025 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	34.3	9.20	11.83	14.67	0
2.	असम	0.15	0.10	0	0.54	0
3.	बिहार	15.05	35.00	44.89	37.631	46.33
4.	छतीसगढ	21.59	19.84	10.11	13.37	16.87
5.	दिल्ली	0.25	0.07	0.40	0.18	0.60
6.	गोवा	0.03	0.03	0	0.25	0.56
7.	गुजरात	33.14	19.79	4.24	29.81	30.12
8.	हरियाणा	13.6	18.21	29.81	29.43	28.75
9.	हिमाचल प्रदेश	3.83	3.15	3.57	2.60	2.04
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0.93	0	0	0.55
11।	झारखंड	0.28	3.19	0	0.81	0
12.	कर्नाटक	65.42	61.85	30.98	40	48.66
13.	केरल	10.99	17.64	2.40	11.32	2.36
14.	मध्य प्रदेश	83.49	103.42	31.82	63.48	88.11
15.	महाराष्ट्र	58.13	7.73	12.83	37.27	24.52
16.	ओडिशा	35.08	44.08	21.46	58.02	35.81
17.	पंजाब	0.18	7.8	0	0	0
18.	राजस्थान	47.70	71.63	65.86	42.55	18.62
19.	सिक्किम	0	0.80	0	0.04	0.09
20.	तमिलनाडु	38.52	35.44	17.88	36.59	32.18
21.	तेलंगाना	8.19	17.18	9.36	8.99	16.18
22.	त्रिपुरा	0	0.2	0	0.11	0.19
23.	उत्तराखंड	0.95	0.78	0	1.00	1.18
24.	उत्तर प्रदेश	113.02	126.72	91.53	97.95	89.48
25.	पश्चिम बंगाल	0.37	0.87	0.24	3.69	4.64
26.	चंडीगढ़	0.5	0.71	1.7	1.73	1.61
27.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0.15	0	0.08
28.	लद्दाख	0	0	0	0	0.08
29.	लक्षद्वीप	0	0.12	0	0	0
30.	पुदुचेरी	7.87	3.66	0.34	1.39	0.85
	कुल	**592.63**	**610.09**	**391.40**	**533.421**	**490.46**

******